355

संख्या– /xxiv(7)/2016–35(2)/15

प्रेषक,

एस0रामास्वामी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 25 जुलाई, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला कालेज ऑफ कॉमर्स हल्द्वानी के लाईटफ्रेम स्ट्रेक्चर भवन के निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–293/xxiv(7)/2016–13(2)/16 दिनांक 20.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में इन्दिरा प्रियदर्षनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला कालेज ऑफ कॉमर्स हल्द्वानी के लाईटफ्रेम स्ट्रेक्चर भवन के निर्माण कार्यो हेतु अनुमोदित रू0 462.90 लाख की धनराशि के सापेक्ष अवशेष रू0 277.74 लाख की धनराशि के विरूद्ध रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिता निधि से स्वीकृत करते हुए व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की कतिपय शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–06 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला कालेज ऑफ कॉमर्स हल्द्वानी के लाईटफ्रेम स्ट्रेक्चर भवन के निर्माण कार्यो हेतु रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जा रही है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगा। तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर समक्ष अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– निर्माण सामाग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्यक करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

7– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करे।

9– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानो एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

10– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाय।

2/

11– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxvii(1)/2011 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयवद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

12– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

13– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुये भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किन्ही भी कारणों से आंगणन पुनरीक्षित पर विचार नहीं किया जायेगा।

14– उक्त कार्यो हेतु राज्य आकस्मिता निधि से स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा यथासमय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0सं0 304 (1)/xxiv(7)/2016–35(2)/15तददिनांकित
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2–आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल।
3–जिलाधिकारी, नैनीताल।
4–निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
5–सम्बन्धित कोषाधिकारी ।
6–प्राचार्य, इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला कालेज ऑफ कॉमर्स हल्द्वानी जनपद नैनीताल।
7– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9– वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–समूह महाप्रबन्धक, नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।